न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/342

राजी बाई पत्नी रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम मुण्डली तहसील नैनवा जिला बून्दी।
———अपीलान्ट

बनाम

1. नरेगा कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. क्षेत्रीय वन विभाग जरिये रेन्जर वन मण्डल रेंज नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. प्रबन्धक वनपाल नाका, बॉसी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. जिला वन अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।
5. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार, नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 16.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत धारा 188 का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मुण्डली तहसील नैनवा जिला बून्दी की खसरा नम्बर 312/390 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादिया के खातेदारी आधिपत्य की भूमि है । वादिया उक्त भूमि पर लगातार काबिज काश्त चली आ रही है । प्रतिवादी क्रम 1 से 4 अवैध एवं अनाधिकृत रूप से वादिया की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते हैं तथा उक्त भूमि पर खड्डे खेदने पर आमादा हैं जिसका उन्हें अधिकार नहीं है ।

3. अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावे

कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर वादिया के हक एवं आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया तथा वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निर्णय पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही सरसरी तौर पर स्थायी निषेधाज्ञा के बाद को निस्तारित कर कानूनी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की सहमति आवश्यक थी। अधीनस्थ न्यायालय ने यह साक्ष्य पत्रावली पर होते हुए भी विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य का सम्पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विपरीत निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 06.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 का पेश किया था जिसमें पत्रावली जवाब हेतु लम्बित थी और वादी को बिना जानकारी एवं बिना सूचना के प्रकरण को लोक अदालत में रखा गया और दावा खारिज किया गया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट इस दावे की आड में वन विभाग की आराजी पर अतिक्रमण करना चाह रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है । अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2017 बहाल रखी जावे।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि वादी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 312/390 रकबा 10 बीघा ग्राम मूण्डली तहसील नैनवा जिला बून्दी में स्थित है ।

दावा जवाब में लम्बित था प्रतिवादी क्रम 2, 3 व 4 की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया । शेष प्रतिवादीगण के जवाब में पत्रावली लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वन विभाग की ओर से रेन्जर, तहसीलदार नैनवा, प्रतिवादी क्रम 5 उपस्थित हुए हैं । समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया है तथा वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है जबकि प्रतिवादीगण का कोई काउन्टर क्लेम पत्रावली पर नहीं है ।

10. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 10.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 16.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा